



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 श्रावण 1947 (श10)

(सं0 पटना 1390) पटना, सोमवार, 18 अगस्त 2025

सं० ब०-2/बी.एल.ओ. सुपरवाईजर-09/2025 निर्वा० 3015
निर्वाचन विभाग

संकल्प

14 अगस्त 2025

विषय:- भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-23/BLO/2025-ERS दिनांक- 24.07.2025 के आलोक में मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (बी0एल0ओ0) एवं मतदान केन्द्र स्तरीय पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी (बी0एल0ओ0 सुपरवाईजर) के न्यूनतम वार्षिक पारिश्रमिक में प्रति बी0एल0ओ0 ₹10,000/- रुपये से बढ़ाकर ₹14,000/- रुपये तथा प्रति बी0एल0ओ0 सुपरवाईजर ₹15,000/- रुपये से बढ़ाकर ₹18,000/- रुपये वार्षिक किये जाने के फलस्वरूप कुल 90712 बी0एल0ओ0 एवं 8245 बी0एल0ओ0 सुपरवाईजर के पारिश्रमिक भुगतान पर प्रतिवर्ष होने वाले अतिरिक्त व्यय की कुल राशि ₹38,75,83,000/- (अड़तीस करोड़ पचहत्तर लाख तिरासी हजार) रुपये की स्वीकृति के संबंध में।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13ख(2) के अंतर्गत निर्वाचक सूची की तैयारी/पुनरीक्षण/निर्वाचन संचालन में सहयोग प्रदान करने हेतु मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (बी0एल0ओ0) का चयन सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्थानीय निकायों के कर्मियों के बीच से किया जाता है। प्रत्येक बी0एल0ओ0 निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के पर्यवेक्षण, अधीक्षण एवं नियंत्रण में एक मतदान केन्द्र के निर्वाचक नामावली को तैयार करने हेतु उत्तरदायी होते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13CC के अंतर्गत बी0एल0ओ0 द्वारा किये गये कार्य की गुणवत्ता की निगरानी एवं सूक्ष्म पर्यवेक्षण हेतु बी0एल0ओ0 सुपरवाईजर की नियुक्ति का प्रावधान भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निदेश के आलोक में किया गया है।

2. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-23/BLO/2025-ERS दिनांक-24.07.2025 द्वारा प्रत्येक मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (बी0एल0ओ0) एवं प्रत्येक मतदान केन्द्र स्तरीय पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी (बी0एल0ओ0 सुपरवाईजर) के न्यूनतम वार्षिक पारिश्रमिक में बढ़ोतरी करते हुये प्रत्येक बी0एल0ओ0 को पारिश्रमिक हेतु ₹12,000/- रुपये एवं विशेष प्रोत्साहन हेतु ₹2,000/- रुपये सहित कुल ₹14,000/- रुपये प्रतिवर्ष एवं प्रत्येक बी0एल0ओ0 सुपरवाईजर को पारिश्रमिक हेतु ₹18,000/- (अठारह हजार) रुपये प्रतिवर्ष दिये जाने का निदेश है।

3. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-23/BLO/2025-ERS दिनांक-24.07.2025 के आलोक में मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (बी0एल0ओ0) एवं मतदान केन्द्र स्तरीय पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी (बी0एल0ओ0 सुपरवाईजर) के न्यूनतम वार्षिक पारिश्रमिक में प्रति बी0एल0ओ0 ₹ 10,000/- रुपये से बढ़ाकर ₹ 14,000/- रुपये तथा प्रति बी0एल0ओ0 सुपरवाईजर ₹ 15,000/- रुपये से बढ़ाकर ₹ 18,000/- रुपये वार्षिक किये जाने के फलस्वरूप कुल 90712 बी0एल0ओ0 एवं 8245 बी0एल0ओ0 सुपरवाईजर के पारिश्रमिक भुगतान पर प्रतिवर्ष होने वाले अतिरिक्त व्यय की कुल राशि ₹ 38,75,83,000/- (अड़तीस करोड़ पचहत्तर लाख तिरासी हजार) रुपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. बी0एल0ओ0 एवं बी0एल0ओ0 सुपरवाईजर के मानदेय भुगतान पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। उक्त राशि का व्यय मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103-निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण, उप शीर्ष-0001-विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची, विषय शीर्ष 13.01 कार्यालय व्यय, मांग संख्या-06 एवं विपत्र कोड संख्या-06-2015001030001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा। वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 की कड़िका-4 के अनुसार यह योजना आवर्ती श्रेणी की प्रकृति का है।

5. संकल्पित कड़िका-3 पर दिनांक-11.08.2025 को लोक वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-912/लो०वि०/यो०वि० दिनांक-11.08.2025 द्वारा अनुमोदन प्राप्त है।

6. संकल्पित कड़िका-3 पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही दिनांक-13.08.2025 के मद संख्या-29 द्वारा अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद सिंह गुंजियाल,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
-सह-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1390-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>